फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री उदयलाल बनाम विपक्षी : श्री रावा

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम पत्रावली संख्या : 124/21

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 09.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया की मौजा बड़गाव पटवार हल्का बड़गाव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर में स्थित आराजी नं 7/1 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा एवं आराजी नं 7/2 रकबा 20 बिघा स्थित होकर कुल किता 2 रकबा 26 बिघा 10 बिस्वा भूमि होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अमरा पिता लक्ष्मण कीर सा. नयाघर मजरा बड़गाव के नाम पर अंकित है। खातेदार अमरा पिता लक्ष्मण का निधन दिनांक 24.04.2017 को चुका है जिनके वारिस हम वादीगण एवं एक बहिन बावरी बाई है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में चारो भाईयो का संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है। यह कि विपक्षीगण प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात पर जबरन रास्ता निकालने की नियत से विपक्षीगण जरीबी लेकर आये और उस जरीबी से विपक्षीगण ने प्रार्थीगण की आराजीयात जो चक में है जिसकी पूर्व दिशा की तरफ स्थित थूर की बाड एवं उक्त जमीन पर स्थित खड़े नीम, करजड़ा, बबूल आदि करीब 100 वृक्षों को नष्ट कर दिये तथा विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू है जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1, 2, 5, 6, 7, 8 द्वारा जवाब प्रस्तुत है जिसमें बताया कि उपरोक्त जगह पर कई वर्षो से करीब 60–65 वर्ष पुराना रास्ता है इस रास्ते से गांव सीमावड़ा बड़ा वासलिया छोड़ा वासलिया गणेशपुरा बड़गाव खिमाकाखेड़ा डांडीयों का खोड़ा इत्यादि गांव के ग्रामीण किसान एवं सभी राहगीर हमेशा इसी रास्ते से होकर आ जा रहे है ये मार्ग कई वर्षो से सुचारू रूप से चला आ रहा है इस रास्ते पर ग्राम पंचायत द्वारा भी कार्य करवाया गया है अभी रास्ते के दोनो साईड पर नाली बनी हुई है इसी रास्ते से होकर ग्रामीण आ जा रहे है नहीं कोई कब्जा नहीं है न ही विपक्षीगण जरीबी लेकर आये है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि अमरा पिता लक्ष्मण कीर सा. के नाम दर्ज रेकार्ड है। जो जमाबन्दी संवत् 2050–53 से स्पष्ट है। प्रार्थीगण द्वारा खातेदार अमरा पिता लक्ष्मण का निधन 24.04.2017 को होना बताया जिसके प्रमाण स्वरूप मृत्यु प्रमाण की प्रति पेश की जो पत्रावली पर उपलब्ध है। वादीगण अमरा पिता लक्ष्मण के वारिसान है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर रास्ता होना बताया है। मौके पर रास्ता है या नहीं इस बिन्दु को मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जाना उचित होगा। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाते है। उपरोक्त बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने से मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है जिससे किसी प्रकार के मौके के परिवर्तन से बचा जा सके। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बंडगाव पटवार हल्का बंडगाव भू–अभिलेख निरीक्षक बंडगाव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी संवत 2050–53 की खाता संख्या नया 10 की आराजी नम्बर 7/1, 7/2 किता 2 रकबा 26 बिघा 10 बिस्वा भूमि में भू–प्रबन्धन के बाद बने नये नम्बरान के आधार पर विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:19:36 IST
Reason: SelfAttested